

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 52 / 2023 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी -	उनवान
चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि० रजिस्टर्ड कार्यालय डेयर हाउस प्रथम तल-2, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, चैन्नई जरिये क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	बनाम
	1. पवन कुमार खींची पुत्र श्यामलाल खींची निवासी सांगानेरी गेट, प्रेमनगर, भीलवाड़ा
	2. प्रेम देवी पत्नि श्यामलाल खींची निवासी सांगानेरी गेट, प्रेमनगर, भीलवाड़ा
	3. श्यामलाल खींची पुत्र नाथूलाल खींची निवासी सांगानेरी गेट, प्रेमनगर, भीलवाड़ा वगैरह।

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी - श्री गगन वर्मा।



निर्णय

दिनांक : 25.03.2023

प्राधिकृत अधिकारी-चोलामण्डलम इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लि० रजिस्टर्ड कार्यालय डेयर हाउस प्रथम तल-2, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड, चैन्नई जरिये क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी को 9,80,802/- रुपये का ऋण दिनांक 27.10.2020 को, 45,79,545/- रुपये का ऋण दिनांक 28.08.2017 को एवं 8,21,929/- रुपये का ऋण दिनांक 31.07.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पत्ति - श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्यामलाल खटीक निवासी भीलवाड़ा के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय मकान नंबर 20, नपती 25 फीट बाई 40 फीट आराजी नंबर 1815 राजस्व ग्राम भीलवाड़ा में स्थित है, के आवासीय मकान नियमन पत्र दिनांकित 08.04.2011 एवं पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांकित 10.05.2011 जो कि उपपंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 20.05.2011 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 51 पृष्ठ संख्या 18 क्रम संख्या 2011010018 पर पंजीबद्ध है, जिसके पडौस पूर्व में-भूखण्ड संख्या 21/1815, पश्चिम में-भूखण्ड संख्या 19/1815, उत्तर-सड़क 14 फीट, दक्षिण-सड़क 60 फीट है (बैंक में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 18.10.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 66,82,090.86/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 08.10.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(1A) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को अधिकृत किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण (ऋणी) द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गयी उपरोक्तानुसार अचल सम्पत्ति (श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्यामलाल खटीक निवासी भीलवाड़ा के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक आवासीय मकान नंबर 20, नपती 25 फीट बाई 40 फीट आराजी नंबर 1815 राजस्व ग्राम भीलवाड़ा में स्थित है, के आवासीय मकान नियमन पत्र दिनांकित 08.04.2011 एवं पंजीकृत पट्टा विलेख दिनांकित 10.05.2011 जो कि उपपंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में दिनांक 20.05.2011 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 51 पृष्ठ संख्या 18 क्रम संख्या 2011010018 पर पंजीबद्ध है, जिसके पडौस पूर्व में-भूखण्ड संख्या 21/1815, पश्चिम में-भूखण्ड संख्या 19/1815, उत्तर-सड़क 14 फीट, दक्षिण-सड़क 60 फीट है) का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को संभलाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। साथ ही कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने की सुनिश्चितता की जावे। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को विधि अनुसार पालना किये जाने हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति प्राधिकृत अधिकारी बैंक को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा